

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

सत्र 2023—24 में अध्यापक—अभिभावक परिषद् (PTA) की आयोज्य बैठकों हेतु

:: दिशा—निर्देश ::

प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों के भागीदारी एवं प्रगति के प्रबोधन में अध्यापक—अभिभावक परिषद् (PTA) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिसके संबंध में इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा—स/22241/अ.अ. परिषद्/2016/ दिनांक : 06.07.2016 के द्वारा अध्यापक—अभिभावक परिषद् (PTA) का गठन करते हुए विस्तृत दिशा—निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त क्रम में ही समसंख्यक पत्र दिनांक : 20.12.2016, पत्र क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा—स/22241/PTM/2017—18/219 दिनांक : 08.09.2017 एवं अनुवर्ती समसंख्यक पत्र क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा—स/22241/PTM/2017—18/174 दिनांक : 09.02.2018 द्वारा विगत सत्रों में दिशा—निर्देश जारी किये गये हैं।

वर्तमान शैक्षिक सत्र में शिविरा पंचाग : 2023—24 के अनुसार अध्यापक—अभिभावक परिषद् (PTA) की 04 बैठकें अग्रांकितानुसार आयोज्य हैं :-

1. अध्यापक—अभिभावक परिषद् (PTA) प्रथम — 22 जुलाई, 2023 (शनिवार)
2. अध्यापक—अभिभावक परिषद् (PTA) द्वितीय — 25 नवम्बर, 2023 (शनिवार)
3. अध्यापक—अभिभावक परिषद् (PTA) तृतीय — 13 जनवरी, 2024 (शनिवार)
4. अध्यापक—अभिभावक परिषद् (PTA) चर्तुथ — 30 अप्रैल, 2023 (मंगलवार)

उक्त बैठकों में विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के अभिभावक गण, SDMC सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि गण, दानदाताओं, भामाशाहों एवं गणमान्य नागरिकों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित किए जाने तथा बैठकों के सफल संचालन/प्रबोधन हेतु संस्थाप्रधान/पीईईओ/यूसीईईओ/सीबीईओ/जिशिअ (मुख्यालय)—प्रारंभिक/माध्यमिक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/संभागीय संयुक्त निदेशक को निम्नानुसार दिशा—निर्देश जारी किये जाते हैं :-

➤ पूर्व तैयारी एवं दायित्व :-

अध्यापक—अभिभावक परिषद् की बैठक तभी सार्थक होगी, जब उक्त परिषद् के सभी घटक अग्रांकित विवरणानुसार निर्देशित दायित्वों का समुचित निर्वहन करेंगे।

1. संस्था प्रधान एवं शिक्षक गण :-

- पूर्व में संधारित अध्यापक—अभिभावक परिषद् (PTA) रजिस्टर में नव—प्रवेशित विद्यार्थियों के अभिभावकों का पंजीयन कर उन्हें पंजीयन क्रमांक एवं पत्र अंकित करें, साथ ही अन्य संतानों का विवरण, जो संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत हैं या अभी विद्यालय प्रवेश की आयु सीमा से छोटे हैं, का भी उल्लेख करना।

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.07.20 22:03:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4336754



- बैठकों की निर्धारित तिथि से **दो सप्ताह** पूर्व अभिभावकों को निमन्त्रण पत्र भेजे जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करना।
- समस्त विषयाध्यापक एवं कक्षाध्यापक उक्त बैठकों के दौरान परीक्षा से पूर्व/उपरान्त विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति पर अभिभावकों के साथ पारस्परिक विमर्श की समुचित तैयारी के दृष्टिकोण से इस सत्र में आयोज्य तीनों परखों, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं में प्राप्ताकों के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी की समग्र शैक्षिक स्थिति का मूल्यांकन बैठकों से पूर्व आवश्यक रूप से तैयार करना।
- SMC/SDMC सदस्यों को समस्त अभिभावकों के बैठकों में सम्मिलित होने हेतु घर-घर जाकर सूचित/निमंत्रित करने हेतु प्रेरित करना।
- विद्यालय भवन/परिसर के बाहर की तरफ बैठक सूचना सम्बन्धी पोस्टर चिपकाना तथा स्थानीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों एवं धार्मिक स्थानों पर भी पोस्टर चिपकाने एवं सम्भव होने पर सार्वजनिक घोषणा की कार्यवाही प्रारम्भ करना।
- बैठक दिवस को अभिभावकों के लिए समुचित बैठक व्यवस्था एवं पेयजल की आवश्यकतानुसार उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना।
- स्कूल डायरी/एस.एम.एस./व्हाट्स-एप/पत्र द्वारा अभिभावकों को बैठक हेतु स्मरण पत्र भिजवाना।
- विद्यालय स्टाफ के साथ पूर्व तैयारी बैठक कर संयुक्त बैठक के दौरान अभिभावकों के साथ सम्मानजनक एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार हेतु आवश्यक निर्देश तथा सुझाव देते हुए अभिभावकों/आमंत्रित अतिथियों के उचित सत्कार की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

2. पीईईओ/यूसीईईओ/सीबीईओ/जिशिअ(मुख्यालय)-प्रारंभिक/माध्यमिक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/संभागीय संयुक्त निदेशक :-

- संबंधित बैठक के दो सप्ताह पूर्व से क्षेत्राधिकार के विद्यालयों द्वारा बैठक में भागीदारी हेतु निमन्त्रण पत्र भेजे जाने की कार्यवाही का समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन करना।
- उक्तानुरूप जिले में कार्यरत अधिकारियों के विद्यालय अवलोकन हेतु आवश्यकतानुसार व्यवस्थाएं भी जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर की जानी हैं।
- संभाग/जिला/ब्लॉक/पंचायत/शहरी परिक्षेत्र स्तर पर व्हाट्स-एप ग्रुप/एस.एम.एस./इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों/प्रिन्ट मीडिया का यथोचित उपयोग बैठक के प्रचार-प्रसार एवं अभिभावकों की अधिकाधिक भागीदारी हेतु सुनिश्चित करना।
- क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में बैठक दिवस को बैठक व्यवस्था एवं पेयजल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु संस्था प्रधानों को आवश्यकतानुसार सम्बलन एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.07.20 22:03:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4336754



- संभाग/जिला/ब्लॉक परिक्षेत्र के कार्यालयों में पदस्थापित समस्त अधिकारियों द्वारा बैठक दिवस को क्षेत्राधिकार में विद्यालयों का बैठक अवलोकन हेतु भ्रमण कार्यक्रम निर्मित कर निर्धारित अवलोकन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करना।
- बैठक दिवस के तत्काल पश्चात् बैठक में अभिभावक उपस्थिति विवरण क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों द्वारा शाला दर्पण पर अंकित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करना।

3. अध्यापक-अभिभावक परिषद (PTA) बैठक की रूपरेखा

क्र०सं०	करणीय कार्यवाही	निर्धारित समय/वधि
(i)	<p><u>प्रार्थना-सभा में भागीदारी :-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● विद्यालय की प्रार्थना सभा में अभिभावकों को सम्मिलित किया जावे। ● एक दो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बालक-बालिकाओं द्वारा दी जाए। इसका उद्देश्य बालक-बालिकाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना हो। ● लैंगिक समानता एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के प्रेरक प्रसंगों की जानकारी देना। ● शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करना। ● भामाशाहों के योगदान की सराहना एवं उनको सम्मानित करना। 	प्रार्थना सभा – 25 मिनट
(ii)	<p><u>सामूहिक बैठक – संस्था प्रधान का उद्बोधन-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक उपलब्धियां। ● विद्यालय के बोर्ड परीक्षा परिणाम के सम्बन्ध में अभिभावकों को अवगत करवाते हुए उसके आधार पर विद्यालय विकास योजना (S.D.P.) के समुचित क्रियान्वयन की जानकारी। ● "डायल फ्यूचर कार्यक्रम" से सम्बन्धित पथ प्रदर्शक शिक्षक द्वारा केरियर गाईडेंस के सम्बन्ध में चर्चा। <p style="text-align: center;">Signature valid</p> <ul style="list-style-type: none"> ● विद्यार्थियों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति गृहकार्य एवं नियमित अध्ययन में 	आवश्यकतानुसार

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director

Date: 2023.07.20 22:03:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4336754



के सम्बन्ध में जागरूकता का संदेश देना।

- विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बाबत दायित्वों का उल्लेख करना।
- विद्यालय परिक्षेत्र में अनामांकित, ड्राप आउट विद्यार्थियों की सूची का वाचन एवं उनको शाला में नामित करने हेतु अभिभावकों से आग्रह।
- राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थी हित में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना।
- कोरोना काल में विद्यार्थियों के लर्निंग गैप को रिकवर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट धरोषणा "राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम" (RKSMBK) की जानकारी देना।
- भारत सरकार के नशा मुक्त अभियान (NMBA) के तहत संचालित गतिविधियों/कार्यक्रमों की जानकारी देना।
- यातायात के नियमों की जानकारी देना एवं उनकी पालना हेतु प्रोत्साहित करना।

पारस्परिक सम्वाद :-

- अभिभावकों का पारस्परिक संक्षिप्त परिचय।
- नवप्रवेशोत्सव कार्यक्रम की कार्ययोजना निर्माण एवं उनकी सफल क्रियान्विति पर विमर्श।
- नामांकन वृद्धि हेतु कार्ययोजना बनाना एवं अभिभावकों से परामर्श लेना।
- विद्यालय की गत बोर्ड कक्षाओं के सम्पूर्ण परीक्षा परिणाम का विस्तृत विश्लेषण उक्त बैठक से पूर्व तैयार किया जाकर अभिभावकों के समक्ष गत बोर्ड परीक्षा परिणाम का विस्तृत विवेचन संस्था प्रधान द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। विगत वर्ष के बोर्ड परीक्षा परिणाम के सम्बन्ध में तुलनात्मक विवेचन को सम्मिलित करते हुए आगामी वर्ष के बोर्ड परीक्षा परिणाम को गुणात्मक रूप से समुन्नत किए जाने हेतु अभिभावकों से अपेक्षित सहयोग/परामर्श की मांग करते हुए मौजूदा सत्र में विद्यार्थियों की विद्यालय में शत-प्रतिशत उपस्थिति हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा के आधार पर विद्यालय को प्राप्त **स्टार रैंकिंग की जानकारी** भी अभिभावकों को प्रदान की जाएगी।

Signature valid

- बोर्ड परीक्षा में अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों की विद्यालय के कक्षाध्यापक/ विषयाध्यापक के

Digitally signed by Kana Ram

Designation : Director

Date: 2023.07.20 22:03:38 IST

Reason: Approver

RajKaj Ref No. : 4336754



	<p>आगामी परीक्षा हेतु उक्त समस्त विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रयासों की रूपरेखा सत्रारम्भ में ही निर्मित करते हुए इसकी अवगति समस्त सम्बन्धित अभिभावकों को उक्त बैठक में प्रदान की जानी सुनिश्चित की जाएगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDMC एवं SMC के सदस्यों का पारस्परिक परिचय एवं उनके दायित्व के सम्बन्ध में चर्चा। • राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों हेतु संचालित विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाओं के सम्बन्ध में अभिभावकों को अवगति प्रदान करना। • विद्यालय द्वारा PTA आयोजन के उद्देश्यों एवं अभिभावकों से अपेक्षित भूमिका बाबत विशद चर्चा। • सघन वृक्षारोपण की कार्ययोजना निर्माण एवं उसकी सफल क्रियान्विति की व्यूह रचना बनाना। 	
(iii)	<p>अध्यापक एवं अभिभावक की व्यक्तिगत बैठक—</p> <p>कक्षाध्यापक अपनी कक्षा में रहेंगे, जहाँ अभिभावक अपने बालक/बालिका की प्रगति एवं आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस हेतु अभिभावक विषय विशेष के शिक्षकों से भी चर्चा कर सकेंगे।</p> <ul style="list-style-type: none"> • बालक-बालिका के दैनिक उपस्थिति पर चर्चा। • बालक-बालिका के अधिगम एवं विषय/प्रकरणों में कठिनाई की चर्चा एवं उपचारात्मक उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। • बालक-बालिका के गृह कार्य एवं अनुशासन, स्वच्छता, नियमितता, सहयोग की भावना, राष्ट्रीयता की भावना आदि पर विचार विमर्श। 	30 मिनट

4. अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक के पश्चात विद्यालय द्वारा करणीय कार्यवाही :-

- बैठक में उपस्थित अभिभावकों का संस्था प्रधान द्वारा उसी दिवस को नियत प्रारूप-1 (संलग्न परिशिष्ट-1) में हस्ताक्षर करवाकर अभिलेखों में अंकन करवाना।
- बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों को संस्था प्रधान द्वारा उसी दिवस को नियत प्रारूप-2 (संलग्न परिशिष्ट-2) में पत्र जारी कर इस हेतु सूचित किया जाएगा एवं आगामी बैठक में भाग लेने हेतु आग्रह किया जाएगा।
- बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों का विवरण संस्था प्रधान द्वारा नियत प्रारूप-3 (संलग्न परिशिष्ट-3) में संधारित किया जाएगा।

बैठक में अभिभावकों की उपस्थिति का विवरण बैठक दिवस के आगामी कार्य दिवस तक आवश्यक रूप से शाला दर्पण में अपलोड किया जाएगा। इस हेतु विद्यालय शाला दर्पण को

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram

Designation : Director

Date: 2023.07.20 22:03:38 IST

Reason: Approval

RajKaj Ref No. : 4336754



लॉग-इन करते ही ****POP-UP** WINDOW** प्रदर्शित होगी, जिसमें PTM से सम्बन्धित वांछित सूचनाएं फीड कर Save करें।

संलग्न : परिशिष्ट-1, 2 एवं 3

(काना राम)
आइ.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा-स/22241/PTA/2015-23/

दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....को पालनार्थ।
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा.....को पालनार्थ।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारम्भिक
8. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त निर्देशों की क्रियान्विति क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाना सुनिश्चित करें।
9. उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर को उक्तानुसार पोर्टल अद्यतन संबंधी कार्यवाही हेतु
10. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
11. मेनेजर, गुरुनानक भवन संस्थान, जयपुर।
12. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई-मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
13. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
14. सहायक निदेशक, शाला दर्पण, कार्यालय हाजा।
15. रक्षित पत्रावली।

सत्यमेव जयते

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.07.20 22:03:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4336754



प्रारूप - 1

बैठक में उपस्थित रहने वाले अभिभावकों के विवरण का प्रारूप

अध्यापक-अभिभावक परिषद: राजकीय विद्यालय,

आदरणीय / आदरणीया

शुभाभिवादन!

विद्यालय में दिनांक को आयोजित अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक में आपकी उपस्थिति हेतु परिषद आपका आभार ज्ञापित करती है:-

क्र.सं.	विद्यार्थियों के नाम, जिनके एक अथवा दोनों अभिभावकों ने बैठक में भाग लिया	नाम अभिभावक	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

धन्यवाद।

संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर

मय मुहर

प्रारूप - 2

बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों को प्रेषणीय पत्र का प्रारूप

अध्यापक-अभिभावक परिषद: राजकीयविद्यालय,

आदरणीय / आदरणीया.....

शुभाभिवादन!

विद्यालय में दिनांक को आयोजित अध्यापक- अभिभावक परिषद की बैठक में सादर उपस्थिति हेतु आपसे आग्रह किया गया था। आप के अनुपस्थित रहने से महत्वपूर्ण विमर्श में आपकी भागीदारी नहीं हो सकी और न ही आपके पुत्र/पुत्री..... (विद्यार्थी का नाम), कक्षा..... वर्ग..... की शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक प्रगति/आवश्यकताओं से सम्बन्धित अवगति दी जा सकी। अतः आपसे आग्रह है कि आगामी कार्य दिवस को विद्यालय में उपस्थित होकर विद्यार्थी की प्रगति एवं बैठक के विमर्श के निर्णयों एवं सुझावों की अवगति प्राप्त करले।

आपसे यह भी अनुरोध है कि अध्यापक-अभिभावक परिषद की आगामी बैठक में अपने पुत्र/पुत्री की शैक्षिक लब्धि एवं विद्यालय से सम्बन्धित अन्य आवश्यक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों की अवगति प्राप्त करने हेतु अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करावें। सत्यमेव जयते

धन्यवाद!

संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर

मय मुहर

प्रारूप-3

-:अध्यापक अभिभावक परिषद की बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों का विवरण:-

क्र.सं.	विद्यार्थियों के नाम, जिनके अभिभावकों ने बैठक दिनांक: में भाग नहीं लिया	संस्था प्रधान द्वारा अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों को प्रेषित पत्र की दिनांक
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Rajasthan Education Department



सत्यमेव जयते

संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर

मंय मुहर